राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल बनाम श्रीगणपति बिल्डहोम

तारीख हुक्म	1498/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुना गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आपत्ति के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियो का निस्तारण गुणावगुण पर प्रकरण के परिक्षण के वक्त किया जाना उचित समझा जाता है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस हेतु एक अवसर चाहा। न्यायहित में अधिवक्ता रेस्पो. को बहस हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की बहस अन्तिम हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/12/2025 को पेश हो।	
10/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 3 के आराजी खसरा नम्बर 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 4038 कुल किता 9 का कुल रकबा 2.1873 हैक्टेयर, खाता संख्या 5 के आराजी खसरा नम्बर 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 4039 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.3247 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरियां, तहसील चौमू, जिला जयपुर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की दोनों अपीलों पर इकजाई रूप से मौखिक बहस सुनी गयी एवं इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ग्यारसीलाल बनाम श्रीगणपति बिल्डहोम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये ही अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीये पारित की गयी है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा जिन आपत्तियो को अपील के माध्यम से दर्ज करवाया है उन्हें अपनी बहस के दौराने वह स्पष्ट करने में सफल नही रहे है | इसके अतिरिक्त चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त पारित किया जाना स्पष्ट होता है, ऐसेमें विभाजन जो सहखातेदारान के मध्य निष्पादित एक आवश्यक प्रक्रियां है, को तकनीकी कारणों से लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति के माध्यम से प्रस्तुत आपत्ति भी स्वीकार योग्य प्रतीत होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 2034/2025 व 1498/2025 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर